प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः मनरेगा सेल/ /1207/2020 दिनांकः 03 जुलाई, 2020

विषयः– कृषक सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत चयनित परियोजनाओं के मॉडल स्टीमेट के संबंध में।

महोदय,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के अन्तर्गत कृषक सशक्तिकरण परियोजना का फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से क्रियान्वित किये जाने विषयक ग्राम्य विकास अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या–671/अड़तीस–7–2020–156नरेगा/2012, दिनांक 1 जून, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

अवगत कराना है कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के सहयोग से योजनान्तर्गत चयनित बहुवर्षीय प्रजाति के औषधि एवं सुगन्धित पौधों यथा लेमन ग्रास, पामारोजा, खस, बाँस तथा सहजन के रोपण को सम्मिलित किया गया है। यह क्रियाकलाप वर्षा ऋतु में 1 जुलाई से 30 सितम्बर/15 अक्टूबर तथा फरवरी/मार्च में क्रियान्वित किये जा सकते हैं। इन परियोजनाओं के आगणन उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा गठित किये गये हैं, जो पत्र के साथ संलग्न है।

अनुरोध है कि बहुवर्षीय प्रजाति के औषधि एवं सगन्ध पौधों यथा लेमन ग्रास, पामारोजा, खस, बाँस तथा सहजन पौधों की परियोजनाओं हेतु उपलब्ध कराये जा रहे मॉडल आगणन के आधार पर परियोजनाओं का गठन करते हुए वर्षा ऋतु में अधिक से अधिक परियोजनाओं का क्रियान्वयन किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः पौधों की प्रजातिवार मॉडल प्राक्कलन।

भवदीय,
03.07.2020
(योगेश कुमार)
अपर आयुक्त, मनरेगा,
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्रांकः मनरेगा सेल / /2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं–

1. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उ0प्र0।
2. समस्त परियोजना निदेशक/उपायुक्त, श्रम रोजगार, उ0प्र0।
3. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।
4. राज्य समन्वयक, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, लखनऊ।

अपर आयुक्त, मनरेगा,
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः मनरेगा सेल/ / /2020 दिनांकः 03 जुलाई, 2020

विषयः— कृषक सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत चयनित परियोजनाओं के मॉडल स्टीमेट के संबंध में।

महोदय,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के अन्तर्गत कृषक सशक्तिकरण परियोजना का फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से क्रियान्वित किये जाने विषयक ग्राम्य विकास अनुभाग—7 के शासनादेश संख्या—671/अड़तीस—7—2020—156नरेगा/2012, दिनांक 1 जून, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

अवगत कराना है कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के सहयोग से योजनान्तर्गत चयनित बहुवर्षीय प्रजाति के औषधि एवं सुगन्धित पौधों यथा लेमन ग्रास, पामारोजा, खस, बाँस तथा सहजन के रोपण को सम्मिलित किया गया है। यह क्रियाकलाप वर्षा ऋतु में 1 जुलाई से 30 सितम्बर/15 अक्टूबर तथा फरवरी/मार्च में क्रियान्वित किये जा सकते हैं। इन परियोजनाओं के आगणन उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा गठित किये गये हैं, जो पत्र के साथ संलग्न है।

अनुरोध है कि बहुवर्षीय प्रजाति के औषधि एवं सगन्ध पौधों यथा लेमन ग्रास, पामारोजा, खस, बाँस तथा सहजन पौधों की परियोजनाओं हेतु उपलब्ध कराये जा रहे मॉडल आगणन के आधार पर परियोजनाओं का गठन करते हुए वर्षा ऋतु में अधिक से अधिक परियोजनाओं का क्रियान्वयन किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः पौधों की प्रजातिवार मॉडल प्राक्कलन।

भवदीय,

(योगेश कुमार)
अपर आयुक्त, मनरेगा,
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्रांकः मनरेगा सेल /1207 /2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं—

1. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उ0प्र0।
2. समस्त परियोजना निदेशक/उपायुक्त, श्रम रोजगार, उ0प्र0।
3. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।
4. राज्य समन्वयक, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, लखनऊ।

अपर आयुक्त, मनरेगा,
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
03.07.2020

उ. प्र. राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड

534-535, पाँचवां तल, योजना भवन, लखनऊ-226001

फोन/फैक्स : 0522-2236213

ई-मेल : upbioenergy2017@gmail.com, support.bioenergy-up@nic.in

वेबसाइट : http://bio-energy.up.nic.in

पत्रांक सं0. : 113 /उ0प्र0 रा0जै0ऊ0वि0बो0/2020 दिनांक 02/07/2020

सेवा में,

अपर आयुक्त (मनरेगा),
ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0,
महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।

विषय:—कृषक सशक्तिकरण परियोजना के अन्तर्गत चयनित फसलों के मानक एस्टीमेट प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अनुरोधपूर्वक अवगत करना है कि ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 के शासनादेश सं0—मनरेगा/पत्रा0सं0— /1080/2020—21 दिनांक—19 जून, 2020 द्वारा प्रदेश में कृषक सशक्तिकरण परियोजना लागू की गयी है।

उक्त परियोजना का क्रियान्वयन फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के सहयोग से किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। योजनान्तर्गत चयनित बहुवर्षीय प्रजाति के औषधीय एवं सगन्ध पौधों के रोपण को सम्मिलित किया गया है। इस सम्बन्ध में लेमनग्रास, पामारोजा, खस, बाँस तथा सहजन के रोपण की प्रति एकड़ रकबे की आर्थिकी बोर्ड द्वारा मनरेगा मानकों के अनुरूप तैयार कर प्रेषित की जा रही हैं। परियोजना में चयनित समस्त क्रियाकलाप वर्षा ऋतु में 01 जुलाई से 30 सितम्बर/15 अक्टूबर तथा फरवरी/मार्च में क्रियान्वित किये जाने की अनुशंसा की जाती है, जिससे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संलग्न मानक एस्टीमेट (प्रति एकड़) प्रदेश के समस्त अधिकारियों को अपनी अनुशंसा के साथ समयबद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय
02/7/2020
(पी0एस0 ओझा)
राज्य समन्वयक/सदस्य संयोजक।